RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई, मंगलवार 16 सितम्बर 2025 वर्ष 07 अंक 149 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

छत्रपति संभाजीनगर : जंगल में मिली सिर

Page - 2

नई दिल्ली : वक्फ बोर्ड कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया फैसला...

क्या हैं इसके 5 प्रावधान

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड संबंधी कानून पर पूरी तरह रोक लगाने के संबंध में सुनवाई की. इसके बाद शीर्ष अदालत ने इस कानून पर पूरी तरह स्टे लगाने से बेशक मना कर दिया लेकिन ऐसे प्रावधान जरूर किए हैं, जिनके मायने खासे अहम हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कई विवादास्पद प्रावधानों पर आंशिक रोक लगाते हुए कानून के अधिकांश हिस्सों को फिलहाल बरकरार रखा गया है. जानते हैं कि कोर्ट के फैसले के पांच मतलब क्या हैं.

इन फैसलों से वक्फ संपत्ति और बोर्ड की संरचना पर पारदर्शिता, न्यायिक निगरानी और धार्मिक संतुलन को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है. फैसले से लगता है कि वक्फ में कानून के जरिए जिन बातों पर सबसे ज्यादा नाराजगी और एतराज जाहिर किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्पष्ट व्यवस्था देने की कोशिश की है. संपूर्ण वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर रोक लगाने के याचिकाकाताओं के अनुरोध को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि संसद द्वारा पारित कानूनों को संवैधानिक माना जाता है और केवल असाधारण मामलों में ही किसी कानून को पूर्ण रूप से निलंबित करने का औचित्य सिद्ध होता है.

सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की आवश्यकता में हस्तक्षेप नहीं किया, यह देखते हुए कि यह पिछले कानूनों में मौजूद था और नया नहीं है. पंजीकरण की समय सीमा के मुद्दे को स्वीकार किया गया है लेकिन इस अंतरिम आदेश में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया.

सुप्रीम कोर्ट के वक्फ बोर्ड संबंधी हालिया फैसले के 5 मुख्य मतलब ये हैं:

1. 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने पर रोक

न्यायालय ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत वक्फ बनाने से पहले किसी व्यक्ति को पांच साल तक इस्लाम का पालन करना जरूरी था. यह तब तक स्थगित रहेगा जब तक इस स्थिति को निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बन जाते, क्योंकि परिभाषित प्रक्रियाओं के अभाव में मनमानी शक्ति का प्रयोग हो सकता है.

2. कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं

इस बात को लेकर सबसे ज्यादा इतराज मौजूदा वक्फ बोर्डों और मुस्लिमों द्वारा जाहिर किया जा रहा था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कलक्टर के पास वक्फ संपत्ति और सरकारी जमीन के विवादों को अंतिम रूप से तय करने की शक्ति नहीं होगी, जब तक ट्रिब्यूनल का निर्णय नहीं आता, तब तक किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बन सकता. यानि इसे लेकर कलेक्टर को जो अंतिम अथारिटी बनाया जा रहा था, वो खत्म हो गया है, जिससे ये संशय भी खत्म हो गया कि कलेक्टर या तो मनमर्जी चला सकते हैं या किसी के इशारों पर काम कर सकते हैं.

मतलब ये भी हुआ केवल कलेक्टर की रिपोर्ट उच्च न्यायालय की स्वीकृति के बिना किसी संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन नहीं कर सकती है. यह कार्रवाई शक्तियों के पृथक्करण के उल्लंघन और संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में मनमाने निर्णयों से सुरक्षा प्रदान करती है।

3. वक्फ बोर्ड में गैर-मुसलिम सदस्य सीमित होंगे

वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों के होने पर भी काफी एतराज और नाराजगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव करते हुए राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित कर दी है. इसमें राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम 3 से ज्यादा नहीं हो सकते तो केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से ज्यादा गैर-मुसलिम सदस्य नहीं हो सकते, जिससे बोर्ड का धार्मिक चरित्र सुरक्षित रहेगा.

4. वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उएड)

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का उएड मुस्लिम होना चाहिए, हालांकि उसने गैर-मुस्लिम नियुक्ति पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है. हालांकि इस प्रावधान से आगे आने वाले समय में काफी विवाद हो सकता है. इसे लेकर मुस्लिमों को एतराज भी हो सकता है.

5. वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान बना रहेगा

वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी लागू रहा है और इसमें कोर्ट ने कोई बदलाव नहीं किया है.

ठाणे : ऑटो-रिक्शा के टैंकर से टकराने से व्यक्ति की मौत!

दो अन्य गंभीर रूप से घायल

ठाणे : ठाणे शहर में एक ऑटो-रिक्शा के खड़े पानी के टैंकर से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

घटना के बारे में

ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि यह घटना रविवार आधी रात से कुछ पहले नितिन कंपनी-कैडबरी जंक्शन रोड के पास हुई। उन्होंने बताया कि पानी के टैंकर से टकराने के बाद ऑटो-रिक्शा में तीन यात्री फंस गए। अधिकारी ने बताया कि दमकल कर्मियों ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद फंसे हुए तीन यात्रियों को बाहर निकाला। उन्हें एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनमें से एक, बबलू, को मृत घोषित कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल 56 और 29 वर्षीय दो अन्य लोगों को उन्नत इलाज के लिए पड़ोसी मुंबई के सायन अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दुर्घटना के कारण व्यस्त ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात अस्थायी रूप से बाधित रहा, लेकिन क्षतिग्रस्त ऑटो-रिक्शा को हटाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई।

मुंबई में भारी बारिश; मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मुंबई: सोमवार सुबह मुंबई में भारी बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और दिन भर तेज बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह 8:30 बजे से सोमवार सुबह 5:30 बजे के बीच मुंबई में अलग-अलग स्तर पर बारिश हुई। कोलाबा में सबसे ज्यादा 88.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, उसके बाद बांद्रा में 82 मिमी, बायकुला में 73 मिमी और टाटा पावर स्टेशन में 70.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। जुहू में 45 मिमी, जबकि सांताक्रूज और महालक्ष्मी स्टेशनों पर क्रमशः 36.6 मिमी और 36.5 मिमी बारिश दर्ज की गई।

कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, बीड, अहिल्यानगर, पुणे और लातूर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में गरज के साथ बिजली गिरने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएँ चलने की संभावना है। रत्नागिरी सहित पड़ोसी कोंकण जिले भी अलर्ट पर हैं। पुणे और सतारा के घाट भी ऑरेंज अलर्ट के तहत हैं, और अधिकारियों ने लगातार भारी बारिश की आशंका में पुणे के उपनगरों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं।

स्थानीय चेतावनियाँ

स्वतंत्र मौसम पूर्वानुमानकर्ता मुंबई नाउकास्ट ने सुबह-सुबह (पहले ट्विटर) पर एक अपडेट जारी किया, जिसमें लंबे समय तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई। हैंडल पर पोस्ट किया गया, ''सुबह 4:30 बजे का अपडेट। दक्षिण-मध्य मुंबई में पिछले 3 घंटों से बहुत भारी बारिश हो रही है। कम से कम अगले 2 घंटों तक लगातार भारी बारिश जारी रहेगी। इस पूर्वानुमान को निवासियों ने तुरंत दोहराया, कई उपयोगकताओं ने जलभराव वाले इलाकों और यातायात व्यवधानों की तस्वीरें और वीडियो साझा किए। मूसलाधार बारिश के कारण दक्षिण और मध्य मुंबई के कुछ हिस्सों में सुबह के समय धीमी गति से चलने वाले यातायात से जूझना पड़ा।

ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार धोखाधड़ी में 1 करोड रुपये से अधिक की ठगी

वाशी : पुलिस उन स्कैमर्स की तलाश में है जिन्होंने कथित तौर पर एक 76 वर्षीय व्यक्ति से ऑनलाइन विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा व्यापार धोखाधड़ी) में 1 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता वाशी का निवासी है। जून में, इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय, शिकायतकर्ता को एक विज्ञापन मिला जिसमें दावा किया गया था कि जाने-माने भारतीय व्यापारियों ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-आधारित सॉफ़्टवेयर तैयार किया है जिससे विदेशी मुद्रा व्यापार के माध्यम से भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। पुलिस ने कहा कि वरिष्ठ वित्त सलाहकार बनकर स्कैमर्स ने शिकायतकर्ता को एक वेब लिंक भेजा और उस लिंक के माध्यम से एक ट्रेडिंग खाता बनाने के लिए कहा। इसके बाद, 26 जून से, शिकायतकर्ता ने 60 से अधिक लेन-देन में विभिन्न लाभार्थी बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक स्थानांतरित कर दिए।

संपादकीय...

संकट के मुहाने पर नेपाल...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

समूचे नेपाल को एकदम ठप कर देने वाली हिंसा ने भले ही वहां के सत्ताधारी प्रतिष्ठान को चकित कर दिया हो लेकिन यह संकट कम से कम एक दशक से पनप रहा था। इसके मूल में नेपाली युवाओं की वह निराशा है जो सरकार की आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर तैयार कर पाने में नाकामी से उपजी है। भ्रष्टाचार ने हालात को और बुरा बना दिया। नेपाल के सार्वजनिक जीवन का कमोबेश हर क्षेत्र भ्रष्टाचार का शिकार है। नेपाल की आधी से अधिक आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है। काठमांडू में विरोध प्रदर्शन करने वाले आबादी के इस अहम हिस्से को जेनजी के नाम से जाना जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित और वैश्विक माहौल से अवगत युवा हैं। नेपाल में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अच्छी खासी संख्या में हैं और ऐसे में सरकार द्वारा 26 मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने के बाद जो प्रदर्शन पहले छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से शुरू किया गया था जल्दी ही उसमें असामाजिक तत्वों की घुसपैठ हो गई।

इस व्यापक प्रतिबंध का कारण यह बताया गया कि व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे ये प्लेटफार्म पंजीकृत होने के लिए नेपाल के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तय समयसीमा का मान रखने में नाकाम रहे थे। ऐसे में प्रतिबंध को लेकर हिंसक प्रतिक्रिया हुई और करीब 20 लोगों की जान चली गई। सत्ताधारी कुलीन वर्ग ने जमीनी हकीकतों को समझने में गलती कर दी थी। यह गलत आकलन अपने आप में बताता है कि इस लोकतांत्रिक गणराज्य की सत्ता संरचना में कितनी खामियां हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) और नेपाली कांग्रेस के रूप में दो सबसे बड़े दलों के सत्ताधारी गठबंधन में उम्रदराज कुलीनों का वर्चस्व था। यह गठबंधन अपने ही लोगों से लगातार दूर होता जा रहा था।

Rokthok Lekhani News Update
WhatsApp group

ये कुलीन वर्ग ही समय-समय पर सत्ता में आते और जाते रहे। खड्ग प्रसाद ओली (73 वर्ष) जिन्हें हिंसा के बाद अचानक प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा उन्हें 2024 में चुना गया था और यह उनका चौथा कार्यकाल था। वह तब सत्ता में आए जब उनकी पार्टी ने पुष्प कमल दहल ह्यप्रचंडह्ण (70 वर्ष) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। प्रचंड तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं।

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

छत्रपति संभाजीनगर : जंगल में मिली सिर कटी लाश

मेटल क्लिप के जरिए पुलिस ने केस को सुलझाया...

छत्रपति संभाजीनगर : छत्रपति संभाजीनगर जिले के कन्नड तहसील में एक घने जंगल में मिली सिर कटी लाश ने सबको हक्का-बक्का कर दिया। एक छोटे-से मेटल क्लिप के जरिए पुलिस ने इस केस को सुलझाया है। मृतक के जबड़े में लगी एक 'जॉ फ्रैक्चर क्लिप' ने पुलिस को हत्यारे तक पहुंचाया और सच सामने आई। 3 सितंबर को कन्नड तहसील के गौताला जंगल में पुलिस को खबर मिली कि 100 फीट गहरी खाई में एक शव पड़ा है। शव का सिर धड़ से अलग था और शरीर इतना सड़ चुका था कि पहचान करना नामुमकिन लग रहा था। पुलिस ने इलाके को घेरकर तलाशी शुरू की। थोड़ी ही दूरी पर कटा हुआ सिर मिला, लेकिन पहचान अब भी एक पहेली थी। तभी जांच के दौरान शव के जबड़े में लगी एक छोटी-सी मेटल क्लिप पुलिस की नजर में आई। पुलिस ने फौरन इस क्लिप की तहकीकात शुरू की। पता चला कि जुलाई 2023 में एक युवक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके इलाज के दौरान उसके जबड़े में यह मेटल क्लिप लगाई गई थी। अस्पताल के रिकॉर्ड खंगालने पर शव की शिनाख्त 28 साल के निलेश सूर्यवंशी के रूप में हुई, जो चालीसगांव का रहने वाला था। निलेश कई दिनों से लापता था और उसकी गुमशुदगी का मामला पुलिस में पहले से दर्ज था।

जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस की नजर निलेश के करीबी दोस्त श्रवण धनगर पर पड़ी। श्रवण को हिरासत में लिया गया और सख्त पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने ही निलेश की हत्या की थी। दोनों के बीच पुराना विवाद था, जो धमकियों तक पहुंच गया था। 26 अगस्त को श्रवण ने निलेश को जंगल में बुलाया। वहां दोनों में तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर श्रवण ने कुल्हाड़ी से निलेश पर हमला कर दिया। निलेश जमीन पर गिर पड़ा और फिर श्रवण ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने शव को खाई में फेंक दिया, ताकि कोई सुराग न मिले। लेकिन तीन दिन बाद जब शव से बदबू फैलने लगी, तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से सिर और धड़ बरामद किया, लेकिन सड़ी हुई लाश की पहचान करना मुश्किल था। पर जॉ फ्रैक्चर क्लिप की मदद से इस केस को सुलझाया गया। पुलिस ने मेडिकल रिकॉर्ड और तकनीकी सबूतों की मदद से मृतक की पहचान की।

छत्रपति संभाजीनगर ग्रामीण के पुलिस सुपरिटेंडेंट विनय कुमार राठौड़ ने बताया, ''3 सितंबर को हमें सिर कटी लाश मिली। जबड़े में लगी सर्जिकल क्लिप से हमने अस्पतालों में जांच की। पता चला कि 2023 में निलेश का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें यह क्लिप लगाई गई थी। सात से आठ दिन की जांच में हम उसके दोस्त श्रवण धनगर तक पहुंचे। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने कुल्हाड़ी से निलेश की हत्या की और शव को खाई में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की थी। उसने निलेश की घड़ी, कपड़े और हर उस चीज को हटा दिया था, जो उसकी शिनाख्त करा सकती थी।

मुंबई : काला घोड़ा परिसर के दूसरे चरण के विकास कार्यों को मंजूरी बनेगा वॉकिंग प्लाजा...

मुंबई : मनपा प्रशासन ने काला घोड़ा परिसर के दूसरे चरण के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यहां वॉकिंग प्लाजा, अंडरग्राउंड पार्किंग और पांच सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इससे देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इस परिसर के विकास के पहले चरण का काम पूरा होने वाला है। मनपा के एक अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण में पांच सड़कों के साथ-साथ एक प्लाजा और पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा। भाजपा के पूर्व नगरसेवक मकरंद नार्वेकर ने कहा कि इसके लिए काफी प्रयास किया गया। इससे काला घोड़ा एरिया पैदल यात्रियों के लिए और भी अधिक बेहतर हो जायेगी। दूसरे चरण में जिन पांच सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा, उसमें महात्मा गांधी रोड, के. दुबाश रोड, नगीनदास रोड, चैंबर ऑफ कॉमर्स लेन और फोर्ब्स स्ट्रीट शामिल है। पहले चरण के तहत वी बी गांधी मार्ग, रदरफील्ड स्ट्रीट, रोप वॉक लेन, साईंबाबा रोड और बी भरूचा रोड पर काम चल रहा है। दूसरे चरण के विकास के तहत काला घोड़ा एरिया में पार्किंग की अधिक जगह के साथ वॉकिंग प्लाजा का निर्माण है। इस योजना के तहत रिदम हाउस (के. दुबाश रोड का एक हिस्सा) के बाहर की सड़क को वॉकिंग प्लाजा में परिवर्तित किया जाएगा। वहीं जहांगीर आर्ट गैलरी के बाहर की सड़क दोनों तरफ होगी। वॉकिंग प्लाजा के फर्श और डिजाइन के लिए बेसाल्ट नेचुरल फिनिश स्टोन, बेसाल्ट लेदर फिनिश स्टोन, मैरून ग्रेनाइट स्टोन और येलो ग्रेनाइट स्टोन जैसे पत्थरों का उपयोग किया जाएगा। वहीं वॉकिंग प्लाजा के आसपास विदेशी वृक्ष लगाए जायेंगे। मकरंद नार्वेकर ने कहा कि काला घोड़ा परिसर विकास योजना के दूसरे चरण को 2अ और 2इ में बांटा गया है।

मुंबई : एसईबीसी के तहत दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण पर क्या असर होगा?

4 अक्टूबर को सुनवाई...

मुंबई: मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र (जीआर) देकर 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (ओबीसी) में शामिल करने के सरकार के फैसले का सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के तहत दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण पर क्या असर होगा? यह सवाल हाईकोर्ट में पूछा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। एसईबीसी में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस आरक्षण के समर्थन में कुछ याचिकाएँ भी दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जारंगे-पाटिल, मुंबई। विरोध प्रदर्शन के बाद, राज्य सरकार ने उनकी कुछ माँगें मान लीं और 2 सितंबर को एक सरकारी फैसला जारी किया। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है। अदालत के सवाल और सरकार के जवाब हैदराबाद राजपत्र में नए सरकारी फैसले के जारी होने के बाद, सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधी पिछली अधिसूचना पर कोई फैसला नहीं लिया है। तो क्या दोनों फैसले एक साथ लागू हो सकते हैं? अदालत ने इस बार पूछा। सराफ ने अदालत को बताया कि नए सरकारी फैसले और पिछली अधिसूचना का एक-दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नया सरकारी फैसला केवल मराठवाड़ा पर लागू है। सराफ ने यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) की अधिसूचना पूरे मराठा समुदाय पर लागू है।

मुंबई : सुरक्षा चूक के बाद एमएमआरडीए ने ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई!

जेकेआईएल पर ₹10 लाख का जुमार्ना...

मुंबई : मीरा-भायंदर में गोल्डन नेस्ट पर मेट्रो लाइन 9 पर निर्माण के दौरान हुई एक सुरक्षा चूक के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह घटना 13 सितंबर को यू-गर्डर को नीचे उतारते समय हुई जब सहारे के लिए इस्तेमाल किया गया 30 किलोग्राम का लोहे का जैक बैरिकेडिंग वाले कार्य क्षेत्र में गिर गया। हालाँकि किसी भी श्रमिक, नागरिक या सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन इस चूक ने गंभीर सुरक्षा चिंताएँ पैदा कर दीं। इसके

जवाब में, एमएमआरडीए ने कार्य में शामिल उपठेकेदार को काली सूची में डालने सहित कई सुधारात्मक उपायों की घोषणा की है। मुख्य ठेकेदार, जे. कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (जेकेआईएल) पर ₹10 लाख का प्रारंभिक जुमार्ना लगाया गया है। अंतिम जुमार्ना विस्तृत जाँच के बाद तय किया जाएगा। परियोजना से ज़िम्मेदार जनरल कंसल्टेंट (जीसी) कर्मियों को हटाया जाएगा और साइट का सुरक्षा निरीक्षण करने के लिए एक तृतीय-पक्ष विशेषज्ञ एजेंसी की नियुक्ति की जाएगी।

एमएमआरडीए के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि जनता और श्रमिकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाए गए हैं। इस घटना की सोशल मीडिया पर भी तीखी आलोचना हुई, कुछ उपयोगकताओं ने बताया कि पहले भी ऐसी दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं और जेकेआईएल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की माँग की। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से गुजरने वाली मेट्रो लाइन 7 का विस्तार, मेट्रो लाइन 9, दहिसर को मीरा-भयंदर से जोड़ती है और उम्मीद है कि पूरा होने के बाद यह उपनगरीय संपर्क को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुंबईः अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को समन...

16 सितंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का आदेश...

मुंबईः अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने समन भेजा है। अभिनेत्री को 16 सितंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने 'वनएक्सबेट' नाम की एक सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। उसी के आधार पर उर्वशी रौतेला को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनके साथ ही पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में समन भेजा गया है, उन्हें 15 सितंबर को मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है।

दरअसल, ईडी की जांच में सामने आया कि कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म गैरकानूनी तरीके से भारत में अपना कारोबार फैला रहे हैं। इन्हीं में से एक है 'वनएक्सबेट, जिसके विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार में कई सेलेब्रिटी जुड़े पाए गए हैं। जांच एजेंसी ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों की भूमिका इन ऐप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रही है।

इसी सिलसिले में ईडी इस ऐप का प्रचार करने वाले सभी सेलिब्रिटी से पूछताछ कर रही है। ईडी ने पिछले सप्ताह भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की थी। इन प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर छद्म विज्ञापनों के लिए और उपयोगकताओं से धन इकट्ठा करने के लिए कई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। बताया जा रहा हा कि इसमें कई लोग पैसे लगा चुके हैं और उन्हें आर्थिक तौर पर काफी नुकसान झेलना पड़ा है। एक अन्य क्रिकेटर सुरेश रैना से भी पिछले महीने एजेंसी ने पूछताछ की थी। ईडी सट्टेबाजी ऐप्स के साथ मशहूर हस्तियों के संबंधों, अर्जित किसी भी विज्ञापन शुल्क और उनके बीच संचार के तरीके की जांच कर रहा है। जांच एजेंसी ने जांच के हिस्से के रूप में गूगल और मेटा (फेसबुक) के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था।

कल्याणः आवारा कुत्तों के हमले में एक छोटे लड़के समेत पाँच लोग घायल

कल्याणः कल्याण के गोविंदवाड़ी में वल्लीपीर रोड पर आवारा कुत्तों के हमले में एक छोटे लड़के समेत कम से कम पाँच लोग घायल हो गए। गोविंदवाड़ी निवासी और घायलों में से एक, सैय्यद मोहसिन ने कहाः ''मैं दोपहर के भोजन के बाद घर से निकला और अपनी मोटरसाइकिल की ओर जा रहा था, तभी एक आवारा कुत्ते ने मेरा पीछा किया और मेरे पैर में काट लिया। मैं किसी तरह बचकर भागा और इलाज के लिए अस्पताल पहुँचा। बाद में, मुझे पता चला कि मुझ समेत पाँच लोगों को कुत्ते ने काटा है। ट्यूशन क्लास जा रहे एक छोटे लड़के पर भी हमला हुआ, लेकिन एक राहगीर ने उसे बचा लिया।'' स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) ने इलाके में कई स्कूल और ट्यूशन क्लास होने के बावजूद आवारा कुत्तों के खतरे को नजरअंदाज किया।

उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से तत्काल निवारक कार्रवाई करने का आग्रह किया। केडीएमसी की स्वास्थ्य अधिकारी दीपा शुक्ला ने कहाः ''शनिवार तक, केडीएमसी क्षेत्र में कुत्तों के काटने के कुल 67 मामले सामने आए–कल्याण में 35 और डोंबिवली में 32। कल्याण में हमारा एक नसबंदी केंद्र है जहाँ हर महीने 1,000 से ज्यादा आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाती है और उन्हें एंटी-रेबीज टीके लगाए जाते हैं।''

मुंबई : डॉक्टर की लापरवाही से गई युवक की जान

मुंबई : चेंबूर इलाके में एक फर्जी डॉक्टर की लापरवाही ने एक ऑटो रिक्शा चालक की जान ले ली। मृतक की पहचान नानटुन झा के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ चेंबूर में रहते थे और रिक्शा चलाकर अपने परिवार को पालते थे। चुना भट्टी पुलिस स्टेशन के अनुसार, शुक्रवार को नानटुन झा को दांत में दर्द होने लगा, तो इलाज कराने के लिए वे लायंस क्लब ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनका दांत निकाला और उन्हें घर भेज दिया। लेकिन, अगले दिन उनका गाल सूज गया और दर्द भी बढ़ गया। जब वे दोबारा वहां इलाज कराने पहुंचे तो अस्पताल बंद मिला। भारी दर्द की वजह से नान्टुन झा पास के ही 'ओम क्लिनिक' पहुंचे, जहां डॉ. रमेश विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति ने उनका इलाज किया। उसने उन्हें एक इंजेक्शन और कुछ दवाइयां दीं। इलाज के बाद नान्टुन झा को घर ले जाया गया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। परिजन उन्हें फिर डॉ. विश्वकर्मा के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी।

ठाणे : निमार्णाधीन इमारत में काम कर रही महिला मजदूर 12वीं मंजिल से गिरी... मौत!

ठाणे : दिवा पूर्व में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, चंद्रागण रेजीडेंसी स्थित निमार्णाधीन इमारत में काम कर रही महिला मजदूर 12वीं मंजिल से गिर गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक महिला का नाम डक राठौड़ बताया गया है, जो कर्नाटक के गुलबर्गा की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार, डक राठौड़ अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए दिवा में मजदूरी का काम करती थी। वह रोज की तरह इमारत में काम कर रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह 12 वीं मंजिल से नीचे गिर गई। घटना इतनी दर्दनाक थी कि आसपास काम कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दिवा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, कलवा भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय मजदूरों ने बताया कि निमार्णाधीन इमारतों पर अक्सर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते। मजदूर बिना हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट और अन्य सेफ्टी उपकरणों के ऊंचाई पर काम करते हैं। ऐसे में जरा सी चूक जानलेवा साबित हो जाती है.

नालासोपारा : कचरा बीनने वाला व्यक्ति हाईटेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया

नालासोपारा : नालासोपारा में वसई विरार महापालिका और महावितरण की घोर लापरवाही के कारण एक दर्दनाक हादसा हो गया। लिंक रोड स्थित डी मार्ट के पास, एक 45 वर्षीय कचरा बीनने वाला व्यक्ति, बालाजी वाघमारे, हाईटेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। यह घटना उस समय हुई जब वाघमारे कैपिटल मॉल के पास मिट्टी के ढेर पर कबाड़ खोज रहा था। यह मिट्टी का ढेर महापालिका द्वारा वहां चलाए जा रहे निर्माण कार्य के लिए डाला गया था। नागरिकों का आरोप है कि मनपा ने लापरवाही दिखाते हुए अत्यधिक मात्रा में मिट्टी डलवाई, जिसके कारण यह टीला इतना ऊंचा हो गया कि वह सीधे हाई-टेंशन बिजली के तार के संपर्क में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बालाजी वाघमारे जैसे ही इस ऊंचे टीले पर चढ़ा, वह ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया और उसे जोरदार झटका लगा। इस हादसे में वह लगभग 60-70% तक झुलस गया। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने उसे पास के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में मनपा और महावितरण के खिलाफ भारी रोष है।

मुंबई : 10 साल बाद बीएलओ के मानदेय में बढ़ोतरी;

कार्यरत अधिकांश कर्मचारी स्कूल शिक्षक ...

मुंबई : बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), सुपरवाइजर, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) और मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की है। 2015 के बाद पहली बार की गई इस घोषणा के अनुसार अब बीएलओ को पहले के 6,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये वार्षिक पारिश्रमिक मिलेगा। इसी तरह सुपरवाइजर का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये, एईआरओ का 25,000 और ईआरओ का 30,000 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से कार्यरत कर्मचारियों को कुछ राहत मिली है, लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों और कार्यभार को लेकर असंतोष भी सामने आया है। ठाणे जिले में आगामी दिनों में छह नगर निगमों, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए कुल 6,894 बीएलओ की आवश्यकता होगी। बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता पंजीकरण करना, नए नाम जोड़ना, मृत या विस्थापित मतदाताओं के नाम हटाना, पहचान पत्रों की जांच और सत्यापन करना तथा समय पर मतदाता सूची का अद्यतन करना जैसी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं।

बीएलओ के रूप में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी स्कूल शिक्षक हैं

जिले में बीएलओ के रूप में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी स्कूल शिक्षक है। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अन्य कार्यालयों की तुलना में अधिक होने से उन्हें इस कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षकों का कहना है कि 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम में गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने का प्रावधान होने के बावजूद उन पर लगातार अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। एक बार बीएलओ नियुक्त होने पर उन्हें वर्षों तक इस कार्य से मुक्त नहीं किया जाता, जिससे शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कई शिक्षक इस बात से असंतुष्ट है कि जिम्मेदारियां तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वेतनवृद्धि उसके अनुरूप नहीं है।

भिवंडी : अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई!

विभाग प्रमुख अरविन्द घुंगरे ने सब्जी विक्रेताओं को धारदार हथियार दिखाकर धमकाया, घटना का वीडियो वायरल

भिवंडी : भिवंडी-निजामपूर शहर महानगर पालिका क्षेत्र में फुटपाथों पर फैले अतिक्रमण से राहगीरों का निकलना मुश्किल हो चुका है। जगह-जगह हाथगाड़ियां और लावारिस वाहन यातायात को बाधित कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए पालिका प्रशासन ने 9 सितंबर को अतिक्रमण निष्कासन पथक गठित किया, जिसकी जिम्मेदारी अनाधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण विभाग के प्रभारी प्रमुख अरविन्द गोविन्द घुंगरे को सौंपी गई। इस टीम में पांच अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। पथक पद्मानगर स्थित सब्जी बाजार में कार्रवाई के लिए पहुंचा।

सब्जी विक्रेताओं को धारदार हथियार दिखाकर धमकाया

आरोप है कि कार्रवाई के दौरान विभाग प्रमुख अरविन्द घुंगरे ने सब्जी विक्रेताओं को धारदार हथियार दिखाकर धमकाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई। लोग दुकानें छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नगरसेवक संतोष शेट्टी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत पालिका आयुक्त अनमोल सागर को फोन कर अधिकारी की शिकायत दर्ज कराई शहरवासियों का कहना है कि पालिका की कार्रवाई अक्सर चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रहती है। मुख्य बाजार क्षेत्र तीन बती परिसर में कथित रूप से रिश्वत लेकर हाथगाड़ियां लगाई जाती हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अतिक्रमण विभाग प्रमुख का पद तकनीकी योग्यता वाले बिल्डिंग कम इंस्पेक्टर के लिए निर्धारित है, लेकिन भिवंडी पालिका में यह जिम्मेदारी डिग्रीधारकों के बजाय अन्य कर्मचारियों को देने की परम्परा प्रशासक काल में चलता आ रहा है।

ठाणे : एटीएम संचालकों ने किया गबन; वित्तीय धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला

ठाणे : बदलापुर शहर में वित्तीय धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ एटीएम संचालकों ने निर्धारित नकदी का एक छोटा हिस्सा मशीनों में जमा किया और शेष राशि का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया। कुल गबन राशि 2,04,500 रुपये दर्ज की गई है, जिससे एटीएम नकदी प्रबंधन प्रणालियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर चिंताएँ बढ़ गई हैं। यह घटना 5 अप्रैल से 12 मई, 2025 के बीच हुई। रिपोर्ट के अनुसार, हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज द्वारा नियुक्त दो एटीएम संरक्षक, जय पाटिल और भूषण कडू, बदलापुर पूर्व रेलवे स्टेशन के पास स्थित एटीएम मशीनों में नकदी जमा करने के लिए ज़िम्मेदार थे।

हालाँकि, पूरी निर्धारित राशि जमा करने के बजाय, दोनों ने दो मशीनों में कम राशि जमा की और शेष नकदी अपने पास रख ली।

कंपनी के आंतरिक ऑडिट के दौरान धोखाधड़ी का पता चला, जिसमें जमा की गई राशि में विसंगतियां सामने आईं। इसके बाद, कंपनी के अधिकारियों ने बदलापुर पूर्व पुलिस स्टेशन का रुख किया और एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। निष्कर्षों के आधार पर, दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह पता लगाने के लिए आगे की जाँच शुरू कर दी है कि गबन की गई धनराशि का इस्तेमाल कैसे किया गया और क्या इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इस घटना ने कई नागरिकों को चौंका दिया है, क्योंकि एटीएम को आमतौर पर सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है। इसके जवाब में, कंपनी ने कहा है कि वह भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी प्रणाली और कड़े नियंत्रण लागू करेगी। अंबरनाथ और बदलापुर में लगभग 6 लाख रुपये की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। दोनों ही मामलों में, धोखेबाजों ने सरकारी और बैंक सेवाओं का दिखावा करते हुए फर्जी व्हाट्सएप लिंक भेजकर पीड़ितों को ठगा। पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस घोटाले की जाँच कर रही है।

वसई : आठ महीनों में 56.68 करोड़ रुपए से अधिक के नशीले पदार्थ जब्त; 287 आरोपि गिरफ्तार

वसई : वसई-विरार, मीरा-भायंदर के शहरों में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है, जो पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह धंधा न केवल कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि समाज को शारीरिक और मानसिक रूप से भी खोखला कर रहा है। शहर में एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स की खपत लगातार बढ़ रही है। यह नशीला पदार्थ युवाओं और अन्य लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। एक बार इसकी लत लग जाने पर व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसका व्यवहार बदलने लगता है, और कई बार तो यह लत आत्महत्या का कारण भी बन जाती है।

करोड़ों के ड्रग्स जब्त, 287 गिरफ्तार

मादक पदार्थों के इस बढ़ते जाल को रोकने के लिए, पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है। पिछले आठ महीनों में पुलिस ने विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 56.68 करोड़ रुपए से अधिक के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इस दौरान 935 मामले दर्ज किए गए और 287 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तेलंगाना से हो रही मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ किया।

पुणे : ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक गोदाम पर छापा; ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया

पुणे : शहर पुलिस ने शुक्रवार को वालुज औद्योगिक क्षेत्र स्थित वीआरएल ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक गोदाम पर छापा मारकर ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर 12.43 लाख रुपये मूल्य की 20 पेटी नशीली दवाओं की बोतलें जब्त कीं। पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने शनिवार को यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ड्रग्स रैकेट के भंडाफोड़ की जानकारी दी। पवार ने बताया कि वालुज क्षेत्र में ड्रग तस्करों के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले, पुलिस ने वालुज

एमआईडीसी थाना क्षेत्र के साजापुर में एमडी ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। क्राइम ब्रांच के डीसीपी रत्नाकर नवले को कुछ दिन पहले वालुज क्षेत्र में चल रहे इस रैकेट की सूचना मिली थी। इसलिए, पुलिस ने परिवहन, कूरियर और पार्सल सेवा प्रदाताओं पर नजर रखी। पुलिस को 12 सितंबर को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से वीआरएल ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में ड्रग्स लाया जा रहा है। इसके बाद जाल बिछाया गया और आरोपी अविनाश रामकृष्ण पाटिल (चालीसगांव) को गिरफ्तार कर लिया गया।

संपर्क कार्याल : रोहिरा हाउस फ्लैट नो 8 दूसरा माला पाकीजा बेकरी के सामने कैडल रोड माहिम पश्चिम मुंबई ४०००१६
मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com